

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

264/2025

प्रकरण सं.:-

क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/289

दिनांक:- 14.10.25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उडाली व भू.अ. नि. वृंका काठसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उडाली तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 192, 189 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>उडाली</u>	192 189	123, 123/4 137 35, 47	<u>मानराम पुत्र अचलाराम</u>	<u>मानसिंह पुत्र अचलसिंह</u>

समदरसिंह
(समदरसिंह भाटी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 14.10.25

क्रमांक:- सम./2025/290-292

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल

दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।

2. प्रार्थी मानसिंह अचलसिंह उडाली तहसील सिणधरी को सूचनायें।

3. रक्षित पत्रावली।



समदरसिंह
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी